

FROM No.III

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत S.D. मुकाम
सहायक कलेक्टर एवं बायतु

..... बनाम
देवराजराज डा.चला राम कोरा

किस्म मुकदमा 111,128 नं 136/21 सन् 2021
नामस्व आपेदन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/05/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/06/2021 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SOO) बायतु	
29/06/21 राजस्थान अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 07/09/2021 को पेश हो।	
07/09/21 राजस्थान अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/11/2021 को पेश हो।	

26/11/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथीगण
तमिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज
पत्रावली विना जमा/ विप्राथीगण बावजुद
तमिल अनुपस्थित/ समाप्त पत्रावली/ विप्राथीगण
प्रशासन जैवों के साथ दस्तावेज-2021 के को
में व्यत्यय होने के विषय में इल्लव/ टी 3/4
समाप्त दिनांक- 19/04/2022 को फेर/ टी/टी

19/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथीगण बावजुद
तमिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज
लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई।
विप्राथीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता
उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्राथीगणों के विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी
अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा
बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्राथीगणों के खातेदारी खेत
सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्राथीगणों के खेत की
सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में
आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं
विप्राथीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी
का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया
जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक
से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर
कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त
होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो,
दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/ 343
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 19/4/22
विप्रार्थीगण

1. देराजराम पुत्र लाखाराम,
जाति भाट, निवासी जोगासर कुआं,
पटवार मण्डल छीतर का पार,
तहसील बायतु (बाडमेर)


1. अचलाराम पुत्र कोशलाराम वगैरा 18,
जाति भाट, निवासी जोगासर कुआं,
पटवार मण्डल छीतर का पार,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 136/2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - जोगासर कुआं, पटवार हल्का - छीतर का पार, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 707/85 रकबा क्रमशः 1.4481 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित, थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश प्रिहा आशिया),
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 19/4/22

क्रमांक : वाद/2022/ 344 to 348
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का छीतर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री देराजराम पुत्र लाखाराम,
4. विप्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र कोशलाराम वगैरा 18,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO)